



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय  
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

**CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT**

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. एच. बी. पटेल  
कुलसचिव (कार्यवाहक)

स्पीड पोस्ट/रजि. डाक/हाथ द्वारा

F. No. 55-1/2011-ACD/930

दिनांक: 02.01.2023

सेवा में,  
प्रो. राजेश मकवाणा  
निदेशक  
गुजराती भाषा एवं साहित्य केंद्र  
भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान  
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

**विषय:** एसआरएफ के अपग्रेडेशन के लिए एक बाह्य विशेषज्ञ की अनुमति प्राप्त करने हेतु।  
**संदर्भ:** माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 29.12.2022 को स्वीकृत।

प्रो. राजेश मकवाणा,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 23.12.2022 को प्राप्त आपके पत्र के संदर्भ में, आपको यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रो. जे. एम. चंद्रवडिया, गुजराती भाषा साहित्य भवन, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट को श्री मितेश परमार के एसआरएफ अपग्रेडेशन हेतु बाह्य विशेषज्ञ के रूप में नामांकित किया गया है।

यह पत्र आपकी सूचनार्थ और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु है।

सधन्यवाद!

सादर,

डॉ. भा. प. ई. एम.  
02/01/23

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति (ई-मेल द्वारा):

1. अधिष्ठाता, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संस्थान
2. उप कुलसचिव (अकादमिक)
3. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
4. अकादमिक एवं प्राधिकारी प्रभाग
5. कुलपति सचिवालय

सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076

Sector\_29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in